विचार बिन्दु

जब तक तुम स्वयं अपने में विश्वास नहीं करते, परमात्मा में तुम विश्वास नहीं कर सकते। – विवेकानंद

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने साउथ अफ्रिका बनाम इजरायल के केस में 26, जनवरी 2024 को अंतरिम आदेश पारित किए, यद्यपि हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले की निंदा भी की है

इससे पूर्व कि केस के मुख्य विषय पर चर्चा हो, हमें यह जानना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन सी संस्था है, उसके जज कौन होते हैं, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कैसे निर्धारित किया गया है और क्या न्यायालय को अनंतित अधिकार पारित करने का भी अधिकार है। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश की पालना कैसे की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार उन सभी विवादों पर है जिनका संबंध संधि निर्वचन, अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आभार का उल्लंघन तथा उल्लंघन से होने वाली क्षति की पूर्ति कैसे हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार न्यायालय का क्षेत्राधिकार दोहरा है। इसके प्रेसीडेंट (मुख्य न्यायाधीश) DONOGHUE हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्यालय हेग (नीदरलैण्ड) में पीस पैलेस में है। इसने अपना कार्य 1946 से प्रारंभ किया है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। न्यायाधीश दलवीर भंड़ारी भारत द्वारा मनोनित जज है। पूर्व में इनका मनोनयन 2012 में हुआ था। 2017 से यह दुबारा न्यायाधीश नियत हुए है। आप सबसे अधिक पोप्यूलर जज है। देश को उन पर गर्व है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार है। वर्तमान अपराध नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा के कन्वेनशन से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनंतिम (अंतरिम) आदेश देने का भी अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र statute of court तथा rule of the court से गवर्न होता है।

नरसंहार (genocide) के अपराध की रोकथाम और सजा के कन्वेनशन के अंतर्गत साउथ अफ्रिका ने एक प्रार्थना पत्र इजरायल के विरूद्ध दिनांक 29.12.2023 को न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया। यह केस साउथ अफ्रिका वर्सेज इजरायल के शीर्षक से दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसमें गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी के विरूद्ध नरसंहार को रोकने के लिए इजरायल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में चाही गई रिलीफ देने की प्रार्थना की गई और साथ ही अंतरिम प्रार्थना भी की है कि नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेनशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करने के लिये इजरायल को तत्काल निर्देशन दिये जावें। नोटिस के बाद 11 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 तक सुनवाई की गई। न्यायालय ने अपना विचार-विमर्श किया। दिनांक 26.01.2024 को अंतरिम आदेश जारी किया। निर्णय बहुमत से होता है। जस्टिस भंडारी ने फैसला सुनाया साथ ही अपना डिक्लेरेशन प्रपत्र भी फैसले के साथ लगाया। आदेश 15-2, 16-1 की राय के अनुसार है।

जस्टिस भंडारी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल नागरिकों के विरूद्ध हमास द्वारा किये गये हमले की निंदा की है। वस्तुत: आदेश के प्रारंभ ही में इसे स्पष्ट किया कि ये हमले क्रूरता के कार्य थे, जिसकी निंदा न्यायालय करता है। एक अनुमान के आधार पर यह माना गया कि हमास के हमलों में 1200 इजरायलियों ने अपनी जान गंवाई थी और 5500 घायल हुए थे, अपंग हुए थे। इजराइल की प्रतिक्रिया में गाजा में रहने वाले 25,000 से अधिक नागरिकों को इस सैन्य अभियान के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें महिलाएं व बच्चे भी है। हजारों लोग लापता है। हजारों अन्य लोग भी मारे गये हैं, घायल हुए हैं। आवास नष्ट हुए हैं, व्यवसाय व पूजा स्थल नष्ट हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उससे यह पाया गया कि 26 अस्पताल व 200 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस संघर्ष के कारण गाजा की 85 प्रतिशत आबादी विस्थापित हुई है। गाजा की स्थिति मानवीय आपदा में बदल गई है। इसी कारण प्रतिक्रिया के डिफेंस को अधिक महत्व नहीं दिया और केस को नरसंहार की परिभाषा में प्रत्यक्षत: पाया।

इजरायल सरकार व भारत सरकार के संबंध मित्रवत है और भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में इजरायल से आग्रह किया है कि वह सैन्य कार्यवाही में मानवीय पक्ष का ध्यान रखें।

आदेश अंतरिम है और जस्टिस भंडारी ने अपनी घोषणा में यह संकेत दिया है और कानून की स्थिति को स्पष्ट किया है कि अंतरिम उपाय संभाव्यता के परीक्षण के आधार पर किया जाता है और आदेश को अपराध की अंतिम घोषणा के रूप में नहीं माना जाता। ऐसे आदेश व्यापक विनाश और अब तक गाजा की आबादी द्वारा झेली गई जानमाल की हानि को ध्यान में रखकर किया गया है।

कई दृष्टिकोण से आदेश दिनांक 26.01.2024 एक महत्वपूर्ण आदेश है। मानवीय जीवन के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। सभी देश जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत असर से मानव का जीवन संकट में है। जो देश इस विपदा के कारण प्रभावित हुए हैं, वे अपने नागरिकों के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं।

जस्टिस भंडारी ने अपने declaration of Jude में यह घोषणा की है :-

"First by way of back ground, the attacks on civilian in Israel on 7th October 2023 were acts of brutality that must be condemned in the strongest terms".

जस्टिस भंडारी ने अपने declaration के चरण 11 में अपने विचारों को इस प्रकार बांधा है "going further, through,all particulars in the confict must ensure that all findings and hostilities cometo an immediate halt and that remaining hostages captured on 7th Oct. 2023 are unconditionally released forthwith.

दोनों देशों की सैन्य कार्यवाही को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए हैं :-

1. 15-2 के मतों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि इजरायल कन्वेनशन के तहत जो उसके दायित्व है उसके अनुसार वह वे सब measures उठाएगा जो अपराधों को रोकने के लिए कन्वेनशन के अनुच्छेद 2 में वर्णित है।

2. 15-2 के मतों से इजरायल ऐसे कदम नहीं उठायेगा और ऐसे कार्य नहीं करेगी, जिसका उल्लेख आदेश में है।

3. 16-1 के मतों से इजरायल राज्य ऐसे कृत्य करेगा जो उसके अधिकार में prevent व punish करने के हेतु प्राप्त है ताकि नरसंहार को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त इजरायल अति-आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करेगा।

4. 15-2 के मतों से यह आदेश दिया कि नरसंहार को रोकने हेतु यथा संभव कदम उठायेगा और सुनिश्चित करेगा कि नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा के अनुच्छेद 2 व 3 दिये गये हैं। इजरायल राज्य एक माह की अवधि में न्यायालयों को अपनी रिपोर्ट देगा कि उसने क्या-क्या कदम उठाये हैं।

जस्टिस भंडारी ने उस अंतरिम आदेश को सपोर्ट किया है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रस्तावित किया है। अंतरिम आदेश दिए जाने के लिए यह मानना पर्याप्त है कि जिस प्रकार इजरायल ने गाजा के विरूद्ध सैन्य कार्यवाही की है उससे यह संभाव्यता प्रतिलक्षित होती है कि नरसंहार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल के इस कथन को स्वीकार नहीं किया है कि इजरायल ने जो किया है वह गाजा की सैन्य कार्यवाही के retaliation में हुआ है। न्यायालय ने अंतरिम आदेश के हेतु इजरायल की सैन्य कार्यवाही को गाजा के विरूद्ध एक "human catastrophe" माना है। जस्टिस भंडारी ने यह स्पष्ट किया है कि आदेश दिनांक 26.01.2024 एक अंतरिम (अनतीत) आदेश है, अंतिम नहीं है। अंतिम आदेश केस के समस्त मेरिट के आधार पर दिया जावेगा। यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिनांक 28.01.2024 का अंतरिम आदेश भारत की सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधानों के अनुरूप है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के statute व rules में अंतिम अथवा अंतरिम आदेश की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जो वास्तव में मूल अधिकार के समान ही है अपील का प्रावधान तो होनी ही चाहिए। यह विचारणीय प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश चाहे वह अंतिम (final) हो अथवा अंतरिम, वे प्रवर्तनीय नहीं होते। इन्हें लागू करने की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जाती है, जो जटिल है। कानून को बनाये 78 वर्ष हो चुके हैं, अत: सुधार की आवश्यकता है।

हमास बनाम इजरायल का यह युद्ध किस करवट लेगा, नहीं कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.01.2024 से तो यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि शीघ्र समस्या हल हो सके। दोनों देश एक-दूसरे का सर्वनाश करना चाहते हैं। सीजफायर अभी संभव नहीं लगता और न बंधकों की रिहाई।

कई दृष्टिकोण से आदेश दिनांक 26.01.2024 एक महत्वपूर्ण आदेश है। मानवीय जीवन के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। सभी देश जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत असर से मानव का जीवन संकट में है। जो देश इस विपदा के कारण प्रभावित हुए हैं, वे अपने नागरिकों के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। पिछले दो दशकों के दौरान राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन क्षेत्रों में न्यायालय में पेश हुये हैं, जो पहले शामिल नहीं थे। जैसे मानव अधिकार तथा पर्यावरण की सुरक्षा। जस्टिस जोन ई. डिनोग्यू का मानना है कि ऐसे विवादों को सुनने में न्यायालय सक्षम है।

क्लाइमेट चेंज के विशेषज्ञों को इस पर विचार करना होगा और आवाज बुलंद करनी होगी कि जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संबंधी विवादों को निपटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की स्थापना शीघ्र की जावे।

सत्य मेव जयते:

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

मोदी की गारंटी योजनाओं में कोई कटौती नहीं, आधारभूत ढांचा मजबूत होगा

सीए शंकर अग्रवाल

आर्थिक विशेषज्ञ शंकर अग्रवाल ने केन्द्र के अंतरिम बजट पर कहा कि केन्द्र सरकार ने आगामी चुनावों की चिंता किए बिना ही इस बजट में किसी लोकलुभावन घोषणा से बचाने का प्रयास किया है। सरकार ने अंतरिम बजट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उससे न्याय किया है।

पिछले वर्षों में केन्द्र सरकार ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने व इस पर खर्च का क्रम जारी रखते हुए 2021-22 में 5.54 करोड से शुरू कर 2022-23 में 7.50 लाख करोड व अब इसमें 11 प्रतिशत की बढोतरी कर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। केन्द्र सरकार का मानना है कि आधारभूत ढांचे पर एक रूपए खर्च करने पर दीर्घकाल में देश को 3.5 रूपए का फायदा होता है। जबकि राजस्व खर्च का दीर्घकालीन प्रभाव नहीं रहता। आधारभूत ढांचे पर खर्च करने के सरकार के इस प्रयास से रोजगार के अवसर बढेंगे एवं निर्माण क्षेत्र में भी तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को बढाना हो अथवा 149 हवाई अड्डो का निर्माण विश्व विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए एम्स बनवाना, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिखा में केन्द्र सरकार का यह ठोस कदम है। वित्त मंत्री ने इन सबके बाद भी गरीब कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का दायरा बढाना, महिलाओ को अधिक सहायता युवाओं को प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 करोड से बढाकर 5 करोड मकानों तक ले जाना, उपरोक्त समस्त योजनाएं मोदी की गारंटी वाली योजनाएं है। इसे सरकार जारी रखेगी।

वित्त मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हमारे प्रयासों से भारत आज विश्व शक्ति के रूप में उभरकर आया है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज भारत में सरकार के इन प्रयासों एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण विश्व में भारत की छवि उभरकर सामने आई है। यद्यपि यह क्षमता भारत में पहले नहीं थी ऐसा नहीं है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के उदासीन रवैये के कारण भारत की छवि निखर नहीं पाई। आज देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का ही परिणाम है कि जी-20 जैसा बडा आयोजन हम भारत में कर पाएं हैं एवं अनेक राष्ट्राध्यक्ष भारत आने को आतुर है। जीएसटी जैसा बडा कदम उठाने से सरकार का पिछले 10 वर्षों में कर संग्रहण तीन बढा है जो कि हमारे देश के विकास में सहभागी बन रहा है।

आज हमारे देश में 2014 में जहां अनेक बैंक डूब के कगार पर थे एवं बैंको का एनपीए निरन्तर बढता जा रहा था। आज वह 16 प्रतिशत से घटकर 2-3 प्रतिशत तक आ गया है। जो सरकार के मजबूत नियंत्रण एवं प्रभावी वित्तीय नियंत्रण का परिणाम है। आज देश का कृषि बजट एनडीए सरकार आने के बाद पिछले 10 वर्षों में छह गुना बढा है। इससे किसान आत्म निर्भरता की ओर बढ रहा है। एवं जो किसानों की आत्महत्याएं निरन्तर बढ रही थी उसमें कमी आई है।

कम्पनी कर में कमी कर 22 फीसदी तक लाने से भारतीय कम्पनियां को विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान किया है। इस कदम से विदेशी कम्पनियां भी अपनी उत्पाद इकाईयां यहां बढाएगी। देश में एक समय जहां सभी मोबाइल बाहर से आते थे आज सैंकडो कम्पनियां भारत में मोबाइल उत्पाद कर रही है जिससे देश के लोगों को सस्ता मोबाइल मिल रहा है। सरकार ने बजट में आम आदमी को किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की है लेकिन किसी भी प्रकार से कर का बोझ भी नहीं बढाया है जो एक राहत की बात है।

-सीए शंकर अग्रवाल,
आर्थिक विशेषज्ञ

राज्य में सैकड़ों प्राध्यापकों की नियुक्ति

श्रीगंगानगर, (निसं)। अनूपगढ़ सहित प्रदेश के स्कूलों में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले हिन्दी विषय की पढ़ाई करवाने के लिए स्कूल शिक्षा में 1199 प्राध्यापक की नियुक्ति कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्राध्यापकों की दो से पांच जनवरी 2024 तक शिक्षा निदेशालय स्तर पर 1408 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर विद्यालय आवंटन किया गया था जबकि इनकी नियुक्ति में देरी की जा रही थी। निदेशालय ने अब प्रदेशभर में 1199 हिंदी प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी है। राज्य के स्कूलों में हिंदी प्राध्यापकों के 3610 पद रिक्त चल रहे हैं। नई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बावजूद कुछ पद रिक्त रहेंगे। वेद प्रकाश जलंधरा, एडीइओ, श्रीगंगानगर का कहना है कि श्रीगंगानगर-अनूपगढ़ सहित राज्य भर में स्कूल शिक्षा के प्राध्यापकों की नियुक्ति के आदेश निदेशालय से जारी हुए हैं। रिक्त पदों पर इनकी नियुक्ति की जा रही है।

युग परिवर्तन की आधारशिला है "नारी शक्ति वंदन"

डॉ. सौम्या गुर्जर

आँखों में अग्नि सा तेज, कदमों में विश्वास लिये विकसित भारत की यात्रा में श मता के सागर में डूबोकर, देश निर्माण में अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।

21वीं सदी में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की परिकल्पना में नारी शक्ति अधिकार एवं सम्मान हेतु प्रतिबद्धता मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में झलकती है। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक नहीं, लाखों सपनों को उडान देने वाले वायुयान हैं। सदियों से धूल फांकती फाइलों से निकालकर, पुरजोर विरोध के बावजूद, नयी संसद के पहले सत्र का शुभारंभ नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार का गरिमापूर्ण फैसला लिया। कर्तव्यपथ पर नारी शक्ति का अदम्य साहस और शौर्य साक्ष्य है कि भारत की नारी प्रत्येक मोर्चे पर प्रतिभा के नये सोपान चढ़ रही है। महिलाओं की नेतृत्व वाली सरकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट से, हम आज एक नए युग में नारी शक्ति के साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। यह एक नया दौर है, जो हमें समृद्धि और समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का वादा करता है। नारी शक्ति के साथ हम नए आरंभ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर नारी अपने सपनों की ऊँचाइयों को छूकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अपने कार्यकाल में सकारात्मक योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने भारतीय नारी का सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित कर सशक्त बनाने का समर्थन किया है।

ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक नहीं, लाखों सपनों को उड़ान देने वाले वायुयान हैं। 50,000 करोड़ का कौशल विकास बजट लाखों बहनों को डिजिटल दुनिया का हथियार देगा, उन्हें आत्मनिर्भरता की धर्मयुद्ध में अजेय बनाएगा। 10,000 करोड़ का स्वरोजगार बजट उम्मीदों के दीप जलाएगा, लाखों उद्यमों की रौशनी से गरीबी के अंधेरे को मिटाएगा। और जब राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, कड़े कानून और महिला सुरक्षा बल मिलकर खड़े होंगे, तो हर कदम पर सुरक्षा का कवच मिलेगा, हर सपना निडर होकर उड़ सकेगा। यह बजट न सिर्फ बदलाव का बिगुल है, बल्कि आशा का सूर्योदय भी। वह सूर्योदय जो बेटियों की आँखों में चमक लाएगा, माँओं के चेहरों पर गर्व की मुस्कान खिलएगा। यह बदलाव, नारी शक्ति के उन्मेष से पूरे भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। आइए, हम सब मिलकर इस बदलाव में भागीदार बनें। नारी शक्ति का सम्मान करें, उसे आगे बढ़ाएँ, क्योंकि यही सच्चा शक्ति वंदन है, यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। जय हिन्द, जय नारी शक्ति।

डॉ. सौम्या गुर्जर,
महापौर,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

मारवाड़ हॉर्स शो कल से जोधपुर में

जोधपुर, (कासं)। पूर्व नरेश एवं पूर्व सांसद गजसिंह के मुख्य संरक्षण में मारवाड़ी नस्ल के उन्नयन व संरक्षण के लिए नवां दो दिवसीय मारवाड़ हॉर्स शो तीन व चार फरवरी को ऑल इण्डिया मारवाड़ी हॉर्स सोसायटी, जोधपुर व मारवाड़ी हॉर्स बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया के संयुक्त तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउण्डेशन पोलो ग्राउण्ड, एयरपोर्ट रोड पर आयोजित किया जाएगा।

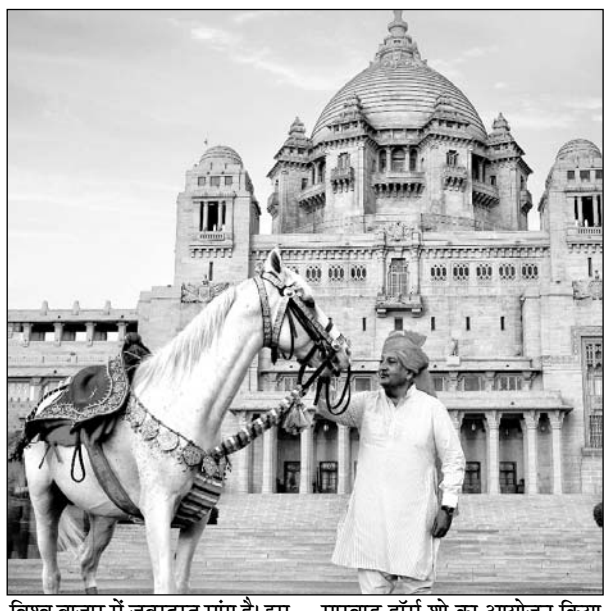

ऑल इण्डिया मारवाड़ी हॉर्स सोसायटी व मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया जोधपुर के सचिव इन्दरजीत सिंह नाथावत ने बताया कि इस हॉर्स शो में देश के विभिन्न प्रदेशों के स्टडबुक द्वारा रजिस्ट्रर्ड घोड़े भाग लेंगे साथ ही दो दिन तक विभिन्न अश्व प्रतियोगिताएं भी होंगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की पहचान व गुणवत्ता को बनाये रखने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि पूर्व नरेश गजसिंह द्वारा मारवाड़ी नस्ल की पहचान को बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। उनके संरक्षण में यह आठवां आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी घोड़े अपनी सुन्दरता, चंचलता एवं स्वामीभक्ति के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ी घोड़ों की विश्व बाजार में जबरदस्त मांग है। इस हॉर्स शो से उन्हें उचित मंच मिलता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में ऑल इण्डिया मारवाड़ी हॉर्स सोसायटी जोधपुर फॉर्म का गठन हुआ व उम्मेद भवन पैलेस में इसका कार्यालय स्थापित हुआ। वर्ष 2013 से मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि 1988 से मारवाड़ हॉर्स एण्ड केटल शो आयोजित होता रहा है एवं इसके बाद वर्ष 2013 से मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन किया जा रहा है।

मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसायटी ऑफ इण्डिया के तत्वावधान में अब तक 3210 मारवाड़ी अश्वों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 763 अश्वों की जांच हो चुकी है इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा व पंजाब सहित अन्य प्रदेशों के मारवाड़ी अश्वों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

जोधपुर कलेक्टर को न्यायालय ने तलब किया

जोधपुर, (कासं)। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ वास्ते उपभोक्ता भवन के नजदीक ही समुचित जगह उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण ने जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को तलब किया है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के न्यायालय में उपस्थित होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण ने निर्देश दिए कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ वास्ते उपभोक्ता भवन के नजदीक ही समुचित जगह एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। आगामी तारीख 12 फरवरी तय की गई। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि पिछले साल राज्य उपभोक्ता आयोग की चल पीठ को हाइकोर्ट के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से स्थाई कर दिया गया लेकिन उपभोक्ता भवन में दो जिला आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के बैठने की समुचित जगह और व्यवस्था नहीं होने से डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव, शीघ्र लिपिक और वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो दो अतरिक्त पद पर सरकार की स्वीकृति बावजूद नियुक्ति नहीं की जा रही है। इससे न्यायिक कार्रवाई में बाधा आने से प्रकरणों का निपटान देरी से हो पा रहा है। इसलिए उपभोक्ता भवन के नीचे स्थित उप निदेशक,अभियोजन विभाग को शिफ्ट किया जाएं,ताकि उपभोक्ता भवन में राज्य आयोग की पीठ सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि न्यू जुबली चेंबर के पीछे वादकरण विभाग के 6 कमरे और हॉल तथा डी आई जी कार्यालय के सामने तीन कमरे पिछले कई सालों से खाली पड़े है सो उप निदेशक, अभियोजन कार्यालय को वहां शिफ्ट किया जा सकता है। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि वे स्वयं अपने स्तर पर इसे प्राथमिकता से लेकर देखेंगे कि उपभोक्ता भवन के आसपास राज्य उपभोक्ता आयोग के वास्ते सुव्यवस्थित जगह उपलब्ध हो जाएं और एसोसिएशन के सुझाव पर उचित कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी कीखंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिला कलेक्टर ने न्यायालय को विश्वास दिलाया है कि वे एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ता भवन के पास या जिला कलेक्टर परिसर में राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ वास्ते समुचित जगह चिन्हित कर न्यायालय को अवगत कराएंगे।

राशिफल शुक्रवार 2 फरवरी, 2024

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, स्वाती नक्षत्र शनिवार प्रात: 5:57 तक, शूल योग दिन 12:54 तक, बव करण 4:03 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-मेष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-कन्या राशि में।

आज महापात योग रात्रि 8:15 से रात्रि 1:07 तक है। आज कालाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:37 तक, लाभ-अमृत 8:37 से 11:19 तक, शुभ 12:40 से 2:01 तक, चर 4:44 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:16, सूर्यास्त 6:05

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार होगा।

धनु
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
धार्मिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है